कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर–482001
फोन : 91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क0 / डी0एम0 / 1719 जबलपुर दिनांक 01/07/20

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
सिंचन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर

विषय :- जिला मण्डला एवं जिला जबलपुर के अन्तर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक 8-76/2018-FC date 23/05/2019.

–::–

विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक 8-76/2018-FC date 23/05/2019 से सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

इस अनुकम में लेख है कि छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के बदले में क्षतिपूर्ति असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण ग्राम किवलारी, खसरा नं0 249 रकवा 40.00 हेक्टेयर एव कक्ष कमांक 0–453, रकवा 40.00 हेक्टेयर में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि, एन.पी.व्ही. की राशि का निम्नानुसार मॉग पत्र जारी किया जाता है :–

मॉग पत्र (छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना)				
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन भूमि :– 69.555 हेक्टेयर				
क्रमांक	परियोजना मद	दर	वन भूमि	राशि
1	N.P.V.	6,26,000.00	5.42	33,92,920.00
2	Plantation	उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि ग्राम केवलारी खसरा क्रमांक 249 रकवा 40.00 हेक्टेयर में वृक्षारोपण (प्रति हेक्टेयर 1000 पौधा अर्थात 40,000 पौधे)		
		फेंसिंग पर व्यय	रोपण व रखरखाव पर व्यय	कुल व्यय
		32,56,320.00	97,73,200.00	1,30,29,520.00
		उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि ग्राम केवलारी खसरा क्रमांक 175 रकवा 31.16 हेक्टेयर में वृक्षारोपण न हो सकने के कारण अन्य वन भूमि पर वृक्षारोपण पर व्यय एवं अन्य व्यय		
		वन भूमि 0–453 पर वृक्षारोपण व्यय (33000 पौधे)		1,28,00,000.00

Scanned by CamScanner

ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर कुल जमा की जाने वाली राशि :–

N.P.V.	Plantation	Total
33,92,920.00	97,73,200.00 + 1,28,00,000.00 = 2,25,73,200.00	**2,59,66,120.00**

भारत शासन द्वारा अध्यारोपित की गई शर्त के अनुसार गैर वन भूमि के सीमांकन एवं फैंसिंग /मुनारा निर्माण आवेदक संस्थान द्वारा किये जाने के उपरांत गैर वन भूमि आधिपत्य में ली जाना है। अतः वृक्षारोपण में फेंसिंग व्यय राशि 32,56,320/– नहीं ली जा रही है, कृपया उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि सीमांकित व फेंसिंग कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि की मांग पृथक से जा रही है। यह राशि राजस्व मद में जमा की जावेगी।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर

पृ. क0/डी0एम0/ 1720 जबलपुर दिनांक 01/07/20

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी सिहोरा /जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम /बरगी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर

Scanned by CamScanner